

कार्यालय,

प्रति. प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या: प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

संलग्नक दिनांक: 09/08/2021

प्रकारितपत्र सूचना

अशिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संचालित सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा नारीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विज्ञापन प्रदान किये जाने हेतु दिनांक- 22/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/बाह्यक्रम प्रवेश शुभान्त वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार किये गये सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/अनुमोदन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार नीचे संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन बाह्यक्रम एवं उससे अतिरिक्त प्रवेश शुभान्त हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3364-DAYANAND DEENANATH COLLEGE INSTITUTE OF PHARMACY, N.H. 38 HAMIRPUR ROAD, RAMAIPUR, KANPUR

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तें का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमन-1982, नोमेन्क्लर विनियमन-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क वीस वगैरे इन्हीं बाह्यक्रमों हेतु ₹0-3015000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0-4500000/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अधीन) हेतु ₹0-2250000/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उद्योगों के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में राज्य/राज्य पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनद्वारा प्रभावी होई, और तदनुसार कार्रवाई किया जाता आवश्यक होगा। परिसर निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु परिसर का पुनर्निर्धारण किया जात है, तो परिसर की उपलब्धता पर ध्यान देकर कार्य करेगी।
- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा परिषद तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध शिक्षा खण्ड) विनियमन-2000 की शर्तें का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने की ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटी के बिना रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही करे जाएगी।
- ✓ संस्था को राज्य/राज्य पर निर्गत शासनादेश के अनुसार विनियम एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विनियमों/अतिरिक्त/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा

1970) संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अनाई गरी विभागों, विभागों, आदेशों, विभागों का प्रदान करने के लिये काम होगी।

उल्लेख इन कार्यों परियोजनाओं की संस्थाएं यदि पी सी आई, आई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इन विभागों में समस्त उपरोक्त संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए बंधन और उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बात दाखल किया जाता है तथा दाखल बात के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी निर्देश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।

उल्लेख इन कार्यों परियोजनाओं संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सदनक द्वारा विधिक रूप के लिए आवश्यक प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यान्वयन प्रारंभ होने के पूर्व पी सी आई में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद विधिक को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यान्वयन के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।

उपर्युक्त साकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीन-प्रारंभ अथवा निम्नो को अनुपालन करना आवश्यक होगा।

1. संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक इति भूमि, स्टाफ, साधन-सम्पत्, उपकरण, विद्युत बिजली जाने वाला सुलभ, छात्रावास सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।

2. संस्था को शिक्षण-परिचालन हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध बनाने के साथ ही संस्था को संस्था में समस्त आवश्यक संसाधन सुनिश्चित करने होंगे।

3. संस्था पर सुनिश्चित हो है कि संस्था में प्रस्तावित संयुक्त परियोजना को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कार्य जैसे अभिलेख, भूमि-मामन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परियोजना के संयोजन में प्रयोग हो जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तब संस्था को सम्बन्धित समस्त विषयों को अनुमोदन नहीं लगेगी।

4. संस्था के स्वीकृत निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सम्पत् आदि पी सी आई में अनुमोदन के माध्यम से उपलब्ध नहीं पाये जाते हैं तो संस्था को सम्बन्धित समस्त कार्य करानी।

5. संस्था द्वारा अनुपालन न किये जाने वाले अथवा नहीं का उल्लेख लिये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुमोदन-कार्यवाही नहीं लगेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

प्राविधिक परिषद, संख्या: 2021/03539-4809

दिनांक: 08/08/2021

प्राविधिक DAYANAND DEENANATH COLLEGE INSTITUTE OF PHARMACY, N.H. 38
BUNGLOWS ROAD, RAMAIPUR, KANPUR



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या— प्रावि/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-8-2020

—सम्यक्तित्व द्वाप—

प्रशिक्षण मातापीठ लखनऊ की शिक्षा परिषद, नई दिल्ली,/पारसी कार्यालय और इम्प्लाय, नई दिल्ली द्वारा सैक्रिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तर पर लखनऊ की डिप्लोमा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में अधिसूचना संख्या में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सभिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अधिसूचित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धता संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश अथवा बुद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त को अनुमोदन में सम्बद्धता संस्थाओं को बैठक के सत्र-3 में विधायक इन पारसी पाठ्यक्रम सम्बद्धता करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रस्तुत किया गया। सम्बद्धता संस्थाओं द्वारा पठन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया—

निजी क्षेत्र में अधिसूचित डिप्लोमा इन पारसी पाठ्यक्रम सम्बद्धता करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठरी/आई/0 द्वारा उन्हें अधिसूचित अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठरी/आई/0 द्वारा प्रदान किये नये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बन्ध अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश अथवा के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सभिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठरी/आई/0 द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुमोदन में सत्र 2020-21 हेतु सभिति से सम्बद्धता विस्तार दिखे जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता सभिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय को अनुमोदन में निम्न संख्या को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित सत्रों को अधिसूचित अनुमोदन एवं प्रवेश अंकित प्रेषित किया हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है—

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठरी/आई/0 द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश	पीठरी/आई/0/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश
1	2884	उत्तर प्रदेश सरकार अधिसूचित डिप्लोमा इन पारसी, एम्प्लॉय-अ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	डिप्लोमा इन पारसी	अ	अ	अ

सम्बद्धता हेतु सर्वे

- ✓ सत्र 2020-21 हेतु पीठरी/आई/0 द्वारा अधिसूचित की गयी सर्वे का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ सत्र 2020-21 हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद अधिसूचना 2020, संख्या अधिसूचना-2018 तथा अन्य निर्णय निम्नलिखित एवं आदेशों का अनुपालन करनी तथा मुख्य निर्देशन सभिति द्वारा निर्धारित मुख्य तीन वर्षीय इम्प्लॉय पाठ्यक्रमों हेतु रु० 20,00,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय पारसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 10,00,000/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय पारसी पाठ्यक्रम के अधिसूचित) हेतु रु० 22,50,00,00 प्रतिवर्ष मुख्य ही अधिसूचित प्राप्त/सत्र में प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अधिसूचित प्राप्त/सत्रों से मुख्य की संख्या में सत्र-2020 का प्रदान द्वारा निर्णय दिखे जाने का प्रत्येक संस्था को, और अनुमोदन अधिसूचित किया

(Handwritten signature)

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षण परिषद,
राज्य प्रवेश परीक्षा।**

संख्या— प्राविण/प्रविभट/सम्बद्धता/राज्य/1132

राज्यता: दिनांक: 15-5-2019

—कार्यालय आशु—

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षण परिषद द्वारा प्रेषित ता. 2018-20 हेतु डिप्लोमा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थानों की अनुसूचीत इकाय किए जाने की सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण परिषद, 2018 राज्या. के सम्बद्धता/सम्बद्धता विभाग प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2018 को राज्य प्रौद्योगिकी शिक्षण परिषद, राज्या के अध्यक्ष को अध्यक्षता में प्रेषित अधिसूचना में सूचना प्रदान हुई। चूंकि ये ता. 2018-20 हेतु अधिसूचित नहीं मान्यता को सम्बद्धता/पूर्व के सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विभाग/पाठ्यक्रम/प्रति कक्षा कक्षा/वर्ग हेतु ता. 2018-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुसार न सम्बद्धता समिति को सूचना को 10-3 में डिप्लोमा इन फार्मेसी अध्ययन सम्बन्धित करने वाली नहीं सूचना का प्रकाश दिया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन विचार-विचार का निर्णय निर्णय लिया गया।

एम्पाइरसीक्रीडों द्वारा प्रदान किये गये अनुसूचीत विचार के अनुसार में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विचार किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को ता. 2018-20 हेतु सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश वर्ग में प्रवेश की संसूची ता. 2018-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने से पूर्व पीसीआईड अनुसूचीत मात्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने का उपवास ही की जाएगी।

उक्त निर्णयानुसार अधिसूचना संख्या को परिषद की डिप्लोमा समिति का विचार-विचार द्वारा ही गरी संसूचित तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये जाने निर्णय के अनुसार ता. प्रौद्योगिकी शिक्षण परिषद, 2018 के अध्यक्ष द्वारा ता. 2018-20 हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी को अधिसूचित प्रकाशित पर जाने अंकित द्वारा प्रदान हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।—

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का पता	पाठ्यक्रम का नाम	एम्पाइरसीक्रीडों/पि		परिषद द्वारा ता. 2018-20 में अनुसूचित संस्था
				डिप्लोमा इन फार्मेसी 2018-20 अनुसूचित संस्था	वर्ग प्रवेश	
1	राज्या	राज्य प्रौद्योगिकी शिक्षण परिषद, राज्या, 2018-20 हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम	डिप्लोमा इन फार्मेसी	10		10

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एम्पाइरसीक्रीडों द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रेषित प्रौद्योगिकी शिक्षण परिषद द्वारा प्रेषित प्रौद्योगिकी शिक्षण परिषद डिप्लोमा फार्मेसी 2018-20 में प्रवेश करने हेतु अधिसूचित का अनुसूचीत करेगी तथा कुछ विचार समिति द्वारा निर्धारित शुल्क रीज कक्षा 2018-20 संस्थाओं हेतु 10,00,000/- करीब, व वर्ग करने हेतु अधिसूचित हेतु 10- 20,00,000/- करीब एवं एक कक्षा के अधिसूचित संस्थाओं के वर्ग करने हेतु अधिसूचित हेतु 10- 20,00,000/- करीब शुल्क की अधिसूचना 2018/राज्या के प्रकाशित करेगा। अधिसूचित के अधिसूचित प्रवेश/संस्थाओं में शुल्क के अनुसार में प्रवेश करने का प्रकाश प्रदान किया किये जाने वाले सम्बन्धित संस्थाओं हेतु, और सम्बद्धता

